वाद अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

वादी — जसवन्तसिंह पुत्र मंगलसिंह आदमुद किए परेवी

बनाम

प्रतिवादी — सुल्तानराम पुत्र बीरमराम जाति जाट किए परेवी

किस्म मुकदमा राजस्व वाद अधीन धारा 88 R.T.A. मु.नं. 58/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
30/4/18	प्रस्तुत वाद वादी ने प्रतिवादीगण के खिलाफ अन्तर्गत धारा 88 R.T.A. 1955 के तहत पेश किया वादीगण का दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की सुनवाई हेतु तारीख जारी हो। तारीख दि. 3/5/18 की पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
3/5/18	पत्रावली नियम परेवी में पेश हुई। प्रा. पत्रावली तथा रेकार्ड के उप० रेकार्ड का अवलोकन किया बाद अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध सरपंच ग्रा.प. परेवी के उप० मोलेराम से पूछा तथा पत्रावली का कथन विचार पटल होने से स्वीकार कर ग्राम परेवी के ख.नं. 159 रकबा 1.54 है० ख.नं. 158 रकबा 1.38 है० के स्थान पर ख.नं. 159 रकबा 1.38 है० ख.नं. 158 रकबा 1.54 है० दुरस्त किया जाता है रेकार्ड में फिसला दरामद हुई कार्यवाही जारी हो। मिसिल पर ठाम नियम परेवी के उपरान्त ग्रा./पटवार मार्फत के कार्य हेतु पेश हो। मिसिल पर आम किए परेवी मंगलाराम गया। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	

Web Copy - Not Official